निर्णय लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री के.आर. चौहान (**R.A.S.**)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कैम्प–कुआंथल

प्र0सं0 317/2016 प्रा.पत्र **निर्णय दिनांक :– 08.06.2017**

अनवान

1. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री शंभूसिंह राजपूत निवासी बिलाना तहसील देवगढ़
2. श्रीमती मुन्ना कंवर पुत्री शंभूसिंह राजपूत निवासी बिलाना तहसील देवगढ़

———प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार देवगढ़

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कुंआथल में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीया श्रीमती मुन्ना कंवर पिता शंभू सिंह राजपूत निवासी बियाना ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह स्वर्गीय शंभू सिंह पिता सोहन पिता राजपूत निवासी बियाना की जायिन्दा पुत्री है। अतः मुझे भी प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थीया ने उसकी माता धाप कंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सरपंच कुंआथल द्वारा प्रमाणित सजरा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया को प्रकरण में प्रार्थी संख्या 2 बनाया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है।

प्रार्थीया की माता धाप कंवर की खातेदारी भूमि ग्राम बियाना पटवार मण्डल कुआथल तहसील देवगढ़ में स्थित है जिसके खाता संख्या 88 खसरा नं. 160 रकबा 7.12 बीघा खसरा नं. 161 रकबा 0.14 बिस्वा खसरा नं.

सहायक कलेक्टर

162 रकबा 0.18 बिस्वा खसरा नं. 163 रकबा 0.03 बिस्वा आ.चाह खसरा न. 164 रकबा 2.08 बीघा खसरा नं. 165 रकबा 0.19 बिस्वा खसरा नं. 165 रकबा 0.19 बिस्वा खसरा न. 251 रकबा 1.18 बीघा है। जिसमें हम वादिया की माता धाप कंवर का नाम सामलाती खाते में दर्ज है जिसमें मेरी माता का नाम धाप कंवर बेवा सोहन सिंह दर्ज है। वह त्रुटि वश गलत दर्ज है। हम प्रार्थीया के पिता शंभू सिंह के नाम सामलाती खाते में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी मुझ प्रार्थीया के पिता शंभू सिंह के स्वर्गवास के बाद नामान्तकरण मेरी माता धाप कंवर के नाम खोला गया। प्रार्थीया को अपनी भूमि के दस्तावेजों की जरूरत पडी तो प्रार्थीया ने राजस्व रेकार्ड में नकल प्राप्त की तब पता चला कि प्रार्थीया की माता का नाम राजस्व रेकार्ड में धाप कंवर बेवा सोहन सिंह गलत दर्ज है। इस पर प्रार्थीया ने आवेदन कर तहसील कार्यालय से नामान्तकरण की नकल प्राप्त की नामान्तकरण खोलते समय सेवन से मेरी माता का धाप कंवर सोहन सिंह गलत दर्ज कर लिया। राजस्व रेकार्ड में त्रुटि होने से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी माता धाप कंवर का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उनका नाम धाप कंवर बेवा शंभूसिंह दर्ज है तथा उनके पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में भी उनका नाम धाप कंवर बेवा शंभू सिंह ही दर्ज है। जब विरासत से नामान्तकरण खोला गया। उसमें प्रार्थीया की माता का नाम भूलवश धाप कंवर बेवा शंभूसिंह के स्थान पर धाप कंवर बेवा सोहनसिंह दर्ज कर दिया जिसको राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

कलेक्टर
-राजसमन्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार फर्माया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम दुरूस्त करा धाप कंवर बेवा सोहन सिंह के स्थान पर धाप कंवर बेवा शंभू सिंह दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी ने कोई जवाब पेश नही किया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश नही करने की स्थिति में यह माना जाता है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में विपक्षी को कोई एतराज नही है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पिता का नाम सोहनसिंह नही होकर शंभूसिंह है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बियाना पटवार मण्डल कुआथल तहसील देवगढ़ में स्थित है जिसके खाता संख्या 88 खसरा नं. 160 रकबा 7.12 बीघा खसरा नं. 161 रकबा 0.14 बिस्वा खसरा नं. 162 रकबा 0.18 बिस्वा खसरा नं. 163 रकबा 0.03 बिस्वा आ.चाह खसरा नं. 164 रकबा 2.08 बीघा खसरा नं. 165 रकबा 0.19 बिस्वा खसरा नं. 165 रकबा 0.19 बिस्वा खसरा नं. 251 रकबा 1.18 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के पिता का नाम सोहनसिंह के बजाय शंभू सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
देवगढ़